(ख) गत दो वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या धन उपलब्ध न होने के कारण ये केन्द्र विकास कार्य नहीं शुरू कर पाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) से (घ) बिहार राज्य को 6 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिनमें से दो विकास केन्द्रों नामतः हजारी-बाग तथा बेगुसराय का मूल्यांकन करके अनुमोदित कर दिया गया है और इन केन्द्रों में प्रत्येक को 50.00 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। शेष विकास केन्द्र प्रमुख एजेन्सी के समक्ष मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में है। बिजली, पानी तथा दूरसंचार इत्यादि जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के साथ विकास केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। किसी विकास के विकास के लिए संसाधन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मुहैया करने होते हैं किसमें बाजार से ऋण लेना भी शामिल है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्रीय सरकार का योगदान 10.00 करोड़ रुपये का है।

सरकारी क्षेत्र के एककों के घाटे को करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

8209. श्री आस मोहम्मद :
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक 30 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2731 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के घाटे को कम करने के लिए सरकार इनको सुदृढ़ बनाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे एककों की प्रबंध व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के एककों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनके घाटे को कम करने के लिये उठाए गए कदम उद्यमवार अलग-अलग है। फिर भी उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :— सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्निर्माण/आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से अतिरिक्त मानव शक्ति को कम करना, क्रियाकलापों का विविधिकरण, उत्पाद मिश्रण, सांविधिक कार्य-निष्पादन समीक्षा निदेशक मण्डल का व्यवसीकरण आदि।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध द्वारा कार्यान्वयन के लिये सरकार के समय-समय पर सतर्कता/भ्रष्टाचार निरोधक उपायों संबंधी मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होता हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूची "क" तथा "ख" कम्पनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित करने और सतर्कता/भ्रष्टाचार के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये अधिक शक्तियां प्रदान करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया हैं।

संयुक्त उद्यमों का कार्यान्वयन

8210. श्री संघ प्रिय गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 में, भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए